रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

(राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

सा.का.नि. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित घारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 2014 तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अन्वेषक के पदों पर भर्ती करने की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में लेवल :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे-मैट्रिक्स में उनका लेवल वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. अनुसंधान अधिकारी	2* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन)	लागू नहीं	पे-मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) में लेवल 10	अचयन	अधिकतम 35 (पैंतीस) वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है) **टिप्पणी :** आयु निर्धारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लहोल व स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
अनिवार्य : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मानव विज्ञान अथवा समाज-विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में निष्णात उपाधि। **वांछनीय :**	जी, नहीं।	दो वर्ष।

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा स्वायत्त संगठन अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, निष्णात उपाधि के पश्चात्, समाज कल्याण तथा विकास के क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक आयोजना अथवा सामाजिक कार्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में दो वर्ष का अनुभव। (ii) समाज विज्ञान विषय में डॉक्टरेट। **टिप्पणी 1** : अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कारण लिखित में दर्ज करके, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। **टिप्पणी 2** : यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह अभिमत हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लिखित में कारण दर्ज करके इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अनुभव के संबंध में अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** पे-मैट्रिक्स के लेवल-6 (35400-112400 रुपए) में अनुसंधान अन्वेषक के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा। **टिप्पणी** : जहां कनिष्ठ व्यक्ति ने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उसकी प्रोन्नति के बारे में विचार किया जा रहा है, की सेवा पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष जो भी कम होगी, की अवधि कम न हो, और अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन</u> : केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा संविधिक संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, : (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-** (i) निदेशक अथवा उप सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – **अध्यक्ष** (ii) उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - **सदस्य**; और (iii) अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – **सदस्य** **विभागीय स्थायी समिति (स्थायी करने के मामले पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-** (i) निदेशक अथवा उप सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – **अध्यक्ष** (ii) निदेशक/उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - **सदस्य**; और	लागू नहीं।

	आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में लेवल-8 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में लेवल-7 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iv) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में लेवल-6 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हता, अनुभव हो। **टिप्पणी 1** : एक ही संगठन अथवा अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी)। **टिप्पणी 2** : पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 3** : आमेलन हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मियों पर ही विचार किया जाएगा।	(iii) अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – **सदस्य**	

1	2	3	4	5	6
2. अनुसंधान अन्वेषक	4* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन)	लागू नहीं	पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में लेवल 6	लागू नहीं	अधिकतम 30 (तीस) वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है) टिप्पणी : आयु निर्धारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लहोल व स्पीति जिला और चंबा जिले का

1	2	3	4	5	6
					पंगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।

7	8	9
अनिवार्य : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान अथवा समाज-विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में स्नातक उपाधि। **वांछनीय :** (i) मानव विज्ञान अथवा समाज विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की निष्णात उपाधि। (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा स्वायत्त संगठन अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में समाज कल्याण तथा विकास के क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक आयोजना अथवा सामाजिक कार्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1 :** अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कारण लिखित में दर्ज करके, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। **टिप्पणी 2 :** यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह अभिमत हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लिखित में कारण दर्ज करके इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अनुभव के संबंध में अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
75% सीधी भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन तथा 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन : केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, – (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (29300-92300 रुपए) में लेवल-5 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (25500-81100 रुपए) में लेवल-4 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित	**विभागीय स्थायी समिति (स्थायी करने के मामले पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-** (i) निदेशक/उप सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – **अध्यक्ष** (ii) उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - **सदस्य** (iii) अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग – **सदस्य**	लागू नहीं।

(10)	(11)	(12)	(13)
	शैक्षिक अर्हता, अनुभव हो। टिप्पणी 1 : एक ही संगठन अथवा अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी)। **टिप्पणी 2** : आमेलन हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मियों पर ही विचार किया जाएगा।		

[सं. 12015/18/ 2007बीसीसी]

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

(NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 17 read with sub-section (2) of section 5 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) and in supersession of the National Commission for Backward Classes (Research Officer) Recruitment Rules, 2014 and the National Commission for Backward Classes (Research Investigator) Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Research Officer and Research Investigator** in the National Commission for Backward Classes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes (Research Officer and Research Investigator) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.—The number of the said posts, their classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-service person and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Research Officer.	2 * (2017) (* Subject to variation dependent on workload)	Not applicable.	Level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.	Non-selection.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: Master's degree of a recognised University or Institution in Anthropology or Sociology or Social work. **Desirable:** (i) Two years' experience of Social Research or Social Planning or Social Work, education and training or in the field of social welfare and development after obtaining the Master degree, in Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Autonomous Organisations or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings; or. (ii) Doctorate in Social Sciences subject. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled	No.	Two years.

Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation (including short- term contract)/ absorption and failing both by direct recruitment.	**<u>Promotion:</u>** Research Investigator in level 6 in pay matrix (Rs.35400-112400) with eight years regular service in the grade. **Note:** Where Junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their services would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Deputation (including short- term contract) /Absorption:</u> Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous Organisations or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in the parent cadre or department; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) in the parent cadre or department; or (iv) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) in the parent cadre or department; and (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recurits under column (7). **Note1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Director or Deputy Secretary, Backward Class Division, Department of Social Justice and Empowerment - Chairman (ii) Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes - Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Director or Deputy Secretary, Backward Class Division, Department of Social Justice and Empowerment - Chairman (ii) Director/ Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes - Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member.	Not applicable.

	Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The Central Government and State Government officials shall only be considered for absorption.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Research Investigator.	4 * (2017) (* Subject to variation dependent on workload)	Not applicable.	Level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)
Essential: Bachelor’s Degree of a recognised University in Anthropology or Sociology or Social Work. **Desirable:** (i) Master’s Degree of a recognized University in Anthropology or Sociology or Social work; (ii) Two years’ experience of Social Research or Social Planning or Social Work, education and training in the field of social welfare and development in Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Autonomous Organisations or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

(10)	(11)	(12)	(13)
75% by direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract)/ absorption and 25% by deputation.	Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers under the Central or State Government or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Statutory Organisations: a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 5 in the pay matrix (Rs.29300-92300) in the parent cadre or department; or (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** The Central Government and State Government officials shall only be considered for absorption.	**Departmental confirmation Committee (for considering case of confirmation) consisting of:** (i) Director or Deputy Secretary, Backward Class Division, Department of Social Justice and Empowerment – Chairman. (ii) Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes - Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes – Member.	Not applicable.

[No.12015/18/2007-BCC]

B. L. MEENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित घारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती करने की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में लेवल :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे-मैट्रिक्स में उनका लेवल वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत-पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा अधिकारी	1* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन)	लागू नहीं	पे-मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में लेवल 8	लागू नहीं।	अधिकतम 35 (पैंतीस) वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष तक की ढील दी जा सकती है) **टिप्पणी :** आयु निर्धारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लहोल व स्पीति जिला और चंबा जिले का पंगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में वाणिज्य अथवा लेखा सहित स्नातक की उपाधि। (ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट के कार्य का चार वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कारण लिखित में दर्ज करके, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अर्हताओं में ढील दी जा सकती है। **टिप्पणी 2** : यदि चयन की किसी भी अवस्था में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का यह अभिमत हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के	लागू नहीं।	दो वर्ष।

अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लिखित में कारण दर्ज करके इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विवेकाधिकार पर अनुभव के संबंध में अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन : केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सांविधिक संगठनों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, : (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में लेवल-7 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में	**विभागीय स्थायी समिति (स्थायी करने के मामले पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-** (i) निदेशक अथवा उप सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – **अध्यक्ष** (ii) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग - **सदस्य**; और (iii) अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग – **सदस्य**	लागू नहीं।

	लेवल-6 में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हता, अनुभव हो। **टिप्पणी 1** : एक ही संगठन अथवा अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी)। **टिप्पणी 2** : आमेलन हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मियों पर ही विचार किया जाएगा।		

[सं.12015/18/2007-बीसीसी (भाग)]

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May , 2017

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 17 read with sub-section (2) of section 5 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) and in supersession of the National Commission for Backward Classes (Accounts Officer), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Accounts Officer** in the National Commission for Backward Classes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-service person and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer.	1 * (2017) (* subject to variation dependent on workload)	Not applicable.	Level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) A degree of a recognised University or Institution with Commerce or Accounts as one of the subjects. (ii) Four years' experience in Cash, Accounts and Budget work in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous body or Statutory body. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short- term contract)/ absorption failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis the level 6 in the pay matrix (Rs.35400-	**Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation) consisting of :-** (i) Director or Deputy Secretary, Backward Class Division, Department of Social Justice and Empowerment – Chairman. (ii) Director or Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes – Member and (iii) Under Secretary, BC Division, Department of Social Justice and Empowerment – Member.	Not applicable.

	112400) in the parent cadre or department; and (b) possessing the essential qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** The Central Government and State Government officials shall only be considered for absorption.		

[No.12015/18/2007-BCC(pt.)]

B.L. MEENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.17 20:17:09 +05'30'